अध्याय II
शौचालयों का निर्माण-सर्वेक्षण परिणाम

किसी परियोजना के सफलता प्रत्याशित परिणाम की उपलब्धि के द्वारा प्रतिबिंबित होती है। कार्य के योजना तथा निष्पादन से सम्बद्ध अभिलेखों की जांच के अलावा, परियोजना के वास्तविक परिणाम के आकलन हेतु लाभार्थी सर्वेक्षण प्रभावी तरीका है। अतः चयनित सात सीपीएसईज़ द्वारा निर्मित शौचालयों की उपलब्धता, गुणवत्ता तथा प्रभावी प्रयोज्यता का आकलन करने हेतु लेखापरीक्षा ने (सितंबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच) नमूना में चयन किए गए 2,695 शौचालयों का लाभार्थी सर्वेक्षण किया। इसके लिए लेखापरीक्षा ने दाखिला, शौचालयों की संख्या-मौजूदा/ निर्मित, पानी की अबाधित उपलब्धता, रखरखाव व्यवस्था तथा शौचालयों की प्रयोज्यता के अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में सूचना वाली प्रश्नावली तैयार की।

सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा कर्मियों ने संबंधित सीपीएसई के प्रतिनिधि के साथ 2,048 चयनित विद्यालयों का दौरा किया और प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य/ हेड मास्टर की सहायता से प्रश्नावली के अनुसार संगत डाटा/ सूचना एकत्र की। शौचालयों के भौगोलिक टैग सहित चित्र लिए गए और सर्वेक्षण के दौरान शिक्षकों/ विद्यार्थियों के साक्षात्कार लिए गए।

चूँकि लेखापरीक्षा सर्वेक्षण में कुल शौचालयों का 2 प्रतिशत शामिल था, अतः सीपीएसईज़ को बकाया 98 प्रतिशत शौचालयों की समीक्षा/ सर्वेक्षण कर कमियों में सुधार हेतु उचित कारवाई करने का परामर्श दिया जाता है।

सर्वेक्षण में एकत्रित डाटा/ सूचना से, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कमियां/ त्रुटियाँ पाई, जिन पर नीचे चर्चा की गई है:-

2.1 अस्तित्वहीन तथा अंशिक रूप से निर्मित शौचालय

लेखापरीक्षा नमूने के 2,695 शौचालयों में से, सीपीएसईज़ ने 83 शौचालयों का निर्माण नहीं किया, हालांकि उन्होंने इन शौचालयों को निर्माण करने हेतु चिन्हित किया था। सीपीएसईज़ द्वारा निर्मित रिपोर्ट किये गए बाकि 2,612 शौचालयों के मामले में, 200 शौचालय संबंधित विद्यालयों में निर्मित नहीं पाए गए और लेखापरीक्षा सर्वेक्षण किए जाने के समय, 86 शौचालय मात्र आंशिक रुप से निर्मित पाएं गए। विवरण तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका-2

अस्तित्वहीन तथा अंशतः निर्मित शौचालयों का सीपीएसईज़-वार विवरण

(आँकड़े शौचालयों की संख्या दर्शाते हैं)

सीपीएसईज़	लेखापरीक्षा द्वारा सर्वेक्षित शौचालय	गैर-निर्मित	शौचालय	कुल संख्या	प्रतिशत	राज्य
		अस्तित्वहीन शौचालय	अंशिक रूप से निर्मित शौचालय			
सीआइएल*	1119	88	66	154	14	ओडिशा (102), मध्यप्रदेश (12) छत्तीसगढ़ (5) व झारखंड (35)
एनटीपीसी	564	91	4	95	17	बिहार (79) पश्चिम बंगाल (10) हरियाणा (4) व मध्यप्रदेश (2)
आरईसी	254	14	5	19	7	बिहार (10), उत्तर प्रदेश (8) व तेलंगाना (1)
एनएचपीसी	144	1	-	1	1	मध्य प्रदेश (1)
पीएफसी	184	1	7	8	4	आंध्र प्रदेश (8)
पीजीसीआईएल	188	1	-	1	1	बिहार (1)
ओएनजीसी	159	4	4	8	5	आंध्रप्रदेश (4) और ओडिशा (4)
कुल	**2612**	**200**	**86**	**286**	**11**	

*ईसीएल के अलावा अन्य सहायक कंपनियाँ

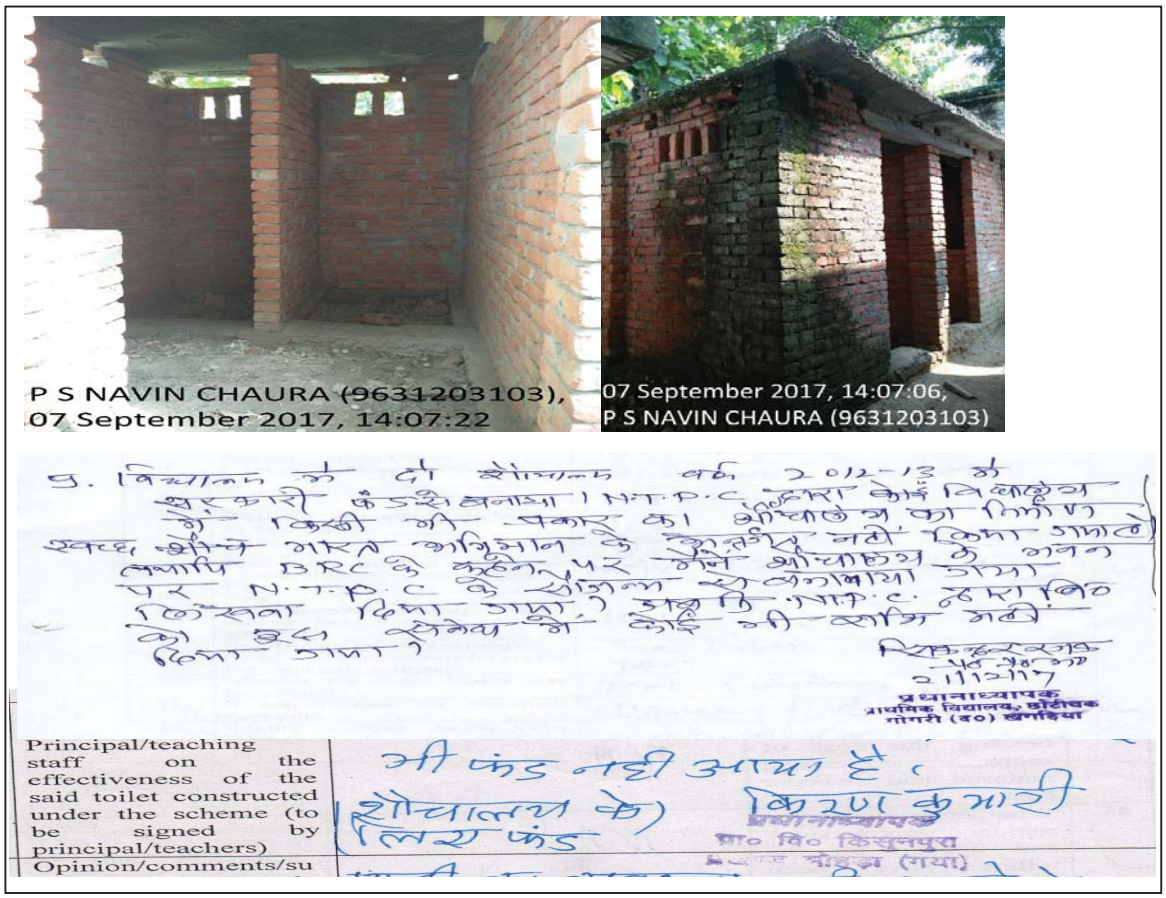

यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा किः

- अस्तित्वहीन तथा अंशिक रूप से निर्मित शौचालय लेखापरीक्षा नमूना के उन शौचालयों का 11 प्रतिशत था, जिन्हें रिकार्ड पर पूर्ण दिखाया गया था।
- उपरोक्त सभी मामलों में संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य/ हैडमास्टर ने लेखापरीक्षा दल के निष्कर्ष की पुष्टि की है (ब्यान दिया है। लेखापरीक्षा प्रश्नावली पर हस्ताक्षर किए हैं।) कि उनके विद्यालयों में ये शौचालय निर्मित नहीं किए गए/ केवल आंशिक रुप से निर्मित किए गए।
- उपरोक्त सभी मामलों में, शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण होने/ सुपुर्दगी के फोटो वेब पोर्टल[7] में अपलोड किए गए थे अथवा इन सीपीएसईज़[8] द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई निर्मित शौचालयों की सूची में दर्शाए गए थे।
- उपरोक्त 286 अस्तित्वहीन/ अंशिक रूप से निर्मित शौचालयों में से 79[9] ऐसे थे जिनके संबंध में सीपीएसईज़ द्वारा लेखापरीक्षा को भुगतान वाउचर/ उपयोग प्रमाणपत्र (यूसीज़) उपलब्ध कराए गए थे।
- 286 अस्तित्वहीन/ अंशिक रूप से निर्मित शौचालयों में से, 92 ऐसे थे जिन्हें सीपीएसईज़ द्वारा निजी कार्यान्वयन अगेंसियों के द्वारा स्वयं निर्मित दिखाया गया था जबकि 194 राज्य सरकार एजेंसियों (एसजीएज़) द्वारा निर्मित घोषित किए गए थे।

एमओपी/ पीजीसीआईएल, आरईसी तथा एमओपीएनजी/ ओएनजीसी ने कहा (अगस्त 2018 से अगस्त 2019) कि 36 अस्तित्वहीन/ अंशिक रूप से निर्मित शौचालयों के मामले में कार्यान्वयन एजेंसियों/ एसजीएज़ को शौचालयों की स्थिति की पुष्टि करने/ राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा गया है।

एमओपी/ एनटीपीसी ने 95 अस्तित्वहीन/ अंशिक रूप से निर्मित शौचालयों के संबंध में अपने उत्तर में कहा (26 मार्च 2019) कि 36 शौचालयों के लिए यूसीज़ तथा भुगतान वाउचर

---

[7] एनटीपीसी ने एमओपी तथा एमोसी के अधीन सीपीएसईज़ द्वारा बनाये जा रहे शौचालयों के निर्माण पर निगरानी हेतु 'vidyutindia.co.in' नामक वेब पोर्टल बनाया।

[8] ओएनजीसी, एनएचपीसी, सीआईएल-सहायक कंपनी सीसीएल और एनसीएल के सन्दर्भ में निर्मित शौचालयों की संख्या

[9] सीपीएसईज़ द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से निर्मित 17 शौचालय और एसजीएज़ के माध्यम से निर्मित 62 शौचालय

उपलब्ध थे, उन्होनें 31 शौचालयों के मामले में निर्माण किए जाने के संबंध में कोई दावा नहीं किया था और बकाया 28 शौचालयों के लिए मामले की जाँच की जा रही थी।

सीआईएल सहायक कम्पनियों ने अपने उत्तर (135 शौचालयों के लिए) में कहा कि 42 शौचालयों (सीसीएल) के लिए भुगतान नहीं किया गया था और आगे कहा कि 52 शौचालयों (एमसीएल) के मामले में निर्माण कार्य प्रगति पर था। सीआईएल ने दावा किया कि 25 शौचालय (सीसीएल -14, बीसीसीएल-11) निर्मित कर लिए गए थे और बिलिंग कर ली गई थी। सीआईएल ने आगे स्पष्ट किया कि 11 शौचालयों (एनसीएल) के संबंध में, संबंधित एसजीए ने बाद में राशि की प्रतिपूर्ति कर दी थी, क्योंकि शौचालय अन्य योजनाओं (सर्वशिक्षा अभियान) के अंतर्गत निर्मित किए गए थे, जबकि 5 शौचालयों (एसईसीएल) के मामलें में, शौचालय अन्य स्कूलो में बनाए गए थे।

एनएचपीसी तथा सीआइएल (सहायक क्म्पनी- इ्ब्ल्यूसीएल, बीसीसीएल तथा सीसीएल का उत्तर (14 नवंबर 2018/ 21 जनवरी 2019) अस्तित्वहीन/ अंशतः निर्मित 20[10] शौचालयों के संबंध में मौन था।

उत्तरों से संकेत मिलता है कि सीपीएसईज़ ने शौचालयों का प्रभावकारी निर्माण सुनिश्चित नहीं किया जिसके परिणामस्वरुप अस्तित्वहीन/ अंशतः निर्मित शौचालयों के लिए भुगतान तथा शैचालयों के पूर्ण कर लिए जाने के संबंध में गलत रिपोर्टिंग दी गई। एनटीपीसी का उत्तर (31 शौचालयों के लिए) तथा सीआईएल (सहायक क्म्पनी-सीसीएल द्वारा 42 शौचालयों के लिए) उत्तरों की उन्होंने उन शौचालयों का निर्माण रिपोर्ट नहीं किया है को इस तथ्य के आलोक में देखे जाने की आवश्यकता है कि इन शौचालयों की पूर्णता/ सुपुर्दगी एमओपी के वेब पोर्टल पर दर्शाई जा रही थी। इसके अलावा 36 शौचालयों के संदर्भ में यद्यपि एनटीपीसी ने कहा है कि उनके पास यूसीज़/ भुगतान वाउचर हैं, तथापि लेखापरीक्षा दलों द्वारा विद्यालयों का दौरा करने पर ये शौचालय नहीं पाए गए।

समर्थक साक्ष्य

- ओएनजीसी ने (दिसंबर 2015 से अप्रैल 2016) मिडस्ट्रीम मार्केटिंग एण्ड रिसर्च प्रा. लि. के माध्यम से 7,958 शौचालयों में से 5,594 का सर्वेक्षण किया जिसने सूचित किया कि 274 शौचालय (5 प्रतिशत) निर्मित नहीं किए गए थे और 236[11] शौचालय (4 प्रतिशत) निष्क्रिय थे। लेकिन ओएनजीसी ने रिपोर्ट पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की। ओएनजीसी ने उत्तर दिया (फरवरी 2018) कि उन्होंने एसजीएज़ को सौंपे गए

[10] *अस्तित्वहीन शौचालय- 8 (एनएचपीसी -1, बीसीसीएल-7) अशतः निर्मित -12 (डब्ल्यूसीएल-1, बीसीसीएल-8 तथा सीसीएल 3)*

[11] *असम में 35 शौचालय, बिहार में 88, मेघालय में 6, ओडिशा में 102 तथा पश्चिम बंगाल मे 05*

शौचालयों की स्थिति की पुष्टि के लिए सर्वश्री औरोविल फाउंडेशन को नियुक्त किया था और राज्य सरकारों से स्थिति की पुष्टि करने का अनुरोध किया था, जो कि प्रतीक्षित थी।

- अलीराजपुर (मध्य प्रदेश) में, एसजीए ने नवंबर 2015 में 777 शौचालयों के लिए यूसीज़ प्रस्तुत किए थे, किंतु यह कहते हुए कि मात्र 222 शौचालय ही निर्मित किए गए थे, बकाया राशि दो वर्ष के बाद (नवंबर 2017) वापस कर दी थी।

2.2 निर्मित शौचालयों की स्थिति

एसवीए पर हैंडबुक में कहा गया था कि एक स्वच्छ विद्यालय प्रत्येक बालक को उनके समुदाय तथा उनके परिवार में स्वच्छता/ निरोगता क्रियाकलापों में सुधार लाने हेतु बदलाव प्रेरक बनने में सक्षम बनाता है।

लेखापरीक्षा ने 1,788 विद्यालयों में निर्मित 2,326 शौचालयों (लेखापरीक्षा नमूना में 2,695 शौचालय में से अस्तित्वहीन/ अंशिक रूप से निर्मित 369 शौचालयों को घटाकर) की प्रभावकारिता की जाँच की। परिणामों पर नीचे चर्चा की गई है।

2.2.1 रखरखाव/ स्वच्छता के आधार पर शौचालयों का श्रेणीकरण

शौचालयों के निर्माण तथा रखरखाव में सीपीएसईज़ के योगदान का आकलन करने की दृष्टि से लेखापरीक्षा ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार (2017-18)[12] के अंतर्गत तय मापद्ण्डों से मिलते जुलते मापदण्डों को लेखापरीक्षा नमूनामें अपनाते हुए शौचालयों का श्रेणीकरण किया। 2,326 चयनित शौचालयों के सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित विवरण/ फीडबैक के आधार पर प्रत्येक शौचालय को स्टार रेटिंग[13] वाला स्कोर प्रदान किया गया जैसे की तालिका 3 में दिया गया है।

---

[12] (i) स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार विद्यालयों में स्वच्छता और स्वच्छ विधियों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित, चिन्हित व सम्मानित करने के लिए एमएचआरडी द्वारा दिया जाता है। लेखापरीक्षा द्वारा शौचालयों को रेटिंग प्रदान करने हेतु अपनाये गए मापदंडों में (i) शौचालय डिज़ाईन तथा तकनीक (28 अंक) (ii) जल सुविधाएँ (22 अंक) (iii) हस्त प्रक्षालन सुविधा (20 अंक) (iv) परिचालन तथा रखरखाव (25 अंक) तथा (v) व्यवहार में बदलाव (प्रयुक्त किए गए शौचालय) (5 अंक)

[13] उत्कृष्ट /5 सितारा रेटिंग (90 से 100 अंक), बहुत अच्छा/4 सितारा रेटिंग (75 से 89 अंक), अच्छा परंतु सुधार की गुंजाईश/3 सितारा (51 से 74 अंक), सुधार की आवश्यकता है/ 2 सितारा (35 से 50 अंक), काफी सुधार की आवश्यकता है/1 सितारा (35 प्रतिशत से कम)

तालिका 3

लेखापरीक्षा नमूना में शौचालयों का श्रेणीकरण

[आंकड़े शौचालयों की संख्या (शौचालयों की प्रतिशतता) दर्शाते हैं]

स्टार रेटिंग / सीपीएसईज़ का नाम	5 सितारा/ उत्कृष्ट	4 सितारा/ बहुत अच्छा	3 सितारा/ अच्छा परन्तु सुधार की गुंजाईश	2 सितारा/ सुधार की आवश्यकता	1 सितारा/ बहुत सुधार की आवश्यकता	कुल
सीआईएल	73(8)	264(27)	416(43)	137(14)	75(8)	965
एनएचपीसी	9(6)	17(12)	88(62)	22(15)	7(5)	143
एनटीपीसी	-	-	182(39)	161(34)	126(27)	469
ओएनजीसी	29(19)	53(35)	47(31)	8(5)	14(9)	151
पीएफसी	51(29)	66(38)	47(27)	12(7)	-	176
पीजीसीआईएल	-	2(1)	34(18)	38(20)	113(60)	187
आरईसी	1(0)	7(3)	83(35)	40(17)	104(45)	235
कुल योग	**163(7)**	**409(18)**	**897(38)**	**418(18)**	**439(19)**	**2326**

उपरोक्त तालिका 3 से देखा जा सकता हैं कि केवल 25 प्रतिशत शौचालयों ने पांच/ चार सितारा रेटिंग प्राप्त की जबकि 75 प्रतिशत शौचालयों ने तीन सितारा या उससे कम रेटिंग प्राप्त की। लेखापरीक्षा ने देखा कि मुख्यत : ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में, राज्य सरकारों ने सीपी एसईज द्वारा निर्मित शौचालयों हेतु विद्यालयों में रखरखाव सुविधाएं व अबाधित जलापूर्ति डी जिससे इन शौचालयों का अच्छा रखरखाव व 4 या 5 ग्रेड मिला। लेखापरीक्षा की राय है कि सीपीएसईज़ शौचालयों में अबाधित जलापूर्ति तथा रखरखाव हेतु राज्य/ जिला शिक्षा विभागों के साथ एमओयूज़ पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर सकते हैं। सीपीएसईज़ को रखरखाव हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध करानी चाहिए व इस रखरखाव के परिणाम की पैनी निगरानी करनी चाहिए।

एमओपीएनजी/ ओएनजीसी ग्रेडिंग से सहमत था (06 अगस्त 2018) जबकि बाकि छ: सीपीएसईज़ ने अपनी टिप्पणियाँ नहीं दी। एमओपीएनजी/ ओएनजीसी ने अपने द्वारा निर्मित

शौचालयों के प्रभावी उपयोग हेतु शौचालयों के रखरखाव के लिए धनराशी उपलब्ध कराने पर भी सहमति ज़ाहिर की।

शौचालयों में पाई गई कमियां इस प्रकार है:

2.2.2 निर्मित किंतु अप्रयुक्त पड़े शौचालय

2,326 निर्मित शौचालयों में से 691 शौचालय (30 प्रतिशत) मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से उपयोग में नहीं पाए गएः

- पानी की अबाधित आपूर्ति की कमी तथा सफाई व्यवस्था की कमी तथा शौचालयों को क्षति (114 शौचालय)
- शौचालयों को क्षति तथा सफाई व्यवस्था की कमी (128 शौचालय)
- पानी की अबाधित आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था की कमी (73 शौचालय)
- शौचालयों को क्षति तथा पानी की अबाधित आपूर्ति की कमी (28 शौचालय)
- मात्र सफाई व्यवस्था की कमी (123 शौचालय)
- मात्र शौचालयों को क्षति (80 शौचालय)
- अन्य कारण जैसे कि अन्य प्रयोजनों के लिए शौचालयों का प्रयोग, ताला लगे शौचालय, विद्यालय बंद होना इत्यादि (101 शौचालय)

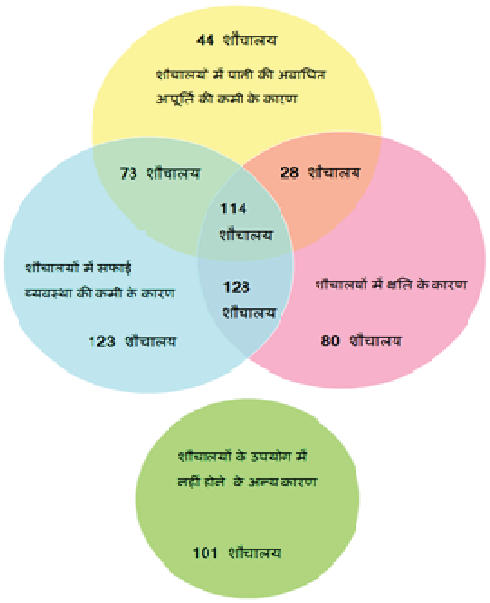

प्रयोग में नहीं लाए गए शौचालयों का सीपीएसई-वार व राज्यवार विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है।

एमओपी/ पीजीसीआईएल तथा आरईसी, एमओपी/ एनटीपीसी, एनएचपीसी और सीआईएल (सहायक कंपनियाँ - एमसीएल, एनसीएल तथा एसईसीएल) ने कहा (अगस्त 2018 से मार्च 2019) कि शौचालयों का रखरखाव कार्य विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकता था क्योंकि वे योजना के वास्तविक लाभार्थी थे। एमओपीएनजी/ ओएनजीसी और सीआईएल (सहायक कंपनियाँ - इब्ल्यूसीएल तथा बीसीसीएल) ने कहा (7 सितंबर 2018/ 21 जनवरी 2019) कि वे विद्यालय/ राज्य प्राधिकारियों के साथ इस विषय पर समन्वय कर रहे थे। पीएफसी तथा सीआईएल (सहायक कंपनी सीसीएल) के उत्तर (27 जून 2018/ 21 जनवरी 2019) इस विषय में मौन हैं। सीआईएल (सहायक कंपनी ईसीएल) ने उत्तर नहीं दिया है।

उत्तर के संकेत मिलते हैं कि सीपीएसईज़ ने शौचालयों के तीन से पाँच वर्षों तक अनुरक्षण संबंधी प्रशासनिक मंत्रालयों के निर्देशों का पालन नहीं किया जैसा कि पैरा 2.2.9 में चर्चा की गई है।

2.2.3 पानी की अबाधित आपूर्ति की सुविधा का अभाव

एमएचआरडी ने निर्देश दिए (19 नवम्बर 2014) कि "एसवीए की नीति यह सुनिश्चित करना थी कि कोई विद्यालय अबाधित जलापूर्ती वाले शौचालय से रहित नहीं होगा"। एसवीए के दिशानिर्देशों ने भी दर्शाया कि अन्य योजनाओं के तहत 2013-14 तक निर्मित 73.06 प्रतिशत शौचालयों में अबाधित जलापूर्ति नहीं थी, जिससे उनकी अप्रयुक्तता/ खराबी हुई। अतः शौचालयों में अबाधित जलापूर्ति सुविधाएसवीए के अधीन सी पीएसईज द्वारा की गयी शौचालय निर्माण सुविधा

की सफलता हेतु अनिवार्य थी। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण 2014 के दिशानिर्देशों में भी शौचालयों में पानी की उपलब्धता अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा नमूना में निर्मित 2,326 शौचालयों में पानी की सुविधा की स्थिति नीचे दी गई है:

- विद्यालयों में पानी की अनुपलब्धता - 449 शौचालय (19 प्रतिशत)
- विद्यालयों में हैडपंप से पानी उपलब्धता, किंतु शौचालयों के भीतर पानी की अनुपलब्धता - 1,230 शौचालय (53 प्रतिशत)
- शौचालयों के भीतर अबाधित पानी की उपलब्धता - 647 शौचालय (28 प्रतिशत)

अतः चयनित 2,326 निर्मित शौचालयों (72 प्रतिशत) में से 1,679 (449+1,230) शौचालयों में अबाधित पानी की आपूर्ति उपलब्ध नहीं थी।

2,326 शौचालयों में से 1856 शौचालयों (80 प्रतिशत) के संबंध में चार सीपीएसईज़ (एनटीपीसी, आरईसी, पीजीसीआईएल व सीआईएल) ने डिजाईन चरण पर शौचालयों में अबाधित पानी की सुविधा की परिकल्पना नहीं की है।

लेखापरीक्षा ने सर्वेक्षण के दौरान देखा कि 1,856 शौचालयों में से, 1,461 शौचालयों (79 प्रतिशत) में अबाधित पानी की सुविधा नहीं है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा नमूना में बकाया उन 470 शौचालयों के संबंध में जहाँ सीपीएसईज़ (ओएनजीसी, पीएफसी व एनएचपीसी) ने शौचालयों में अबाधित पानी आपूर्ति की आयोजना की थी, उनमें से 218 शौचालयों (46 प्रतिशत)[14] में अभी भी अबाधित पानी उपलब्ध नहीं था।

एमओपी (पीजीसीआईएल, एनटीपीसी तथा आरईसी) और सीआईएल ने कहा (अगस्त 2018 से अप्रैल 2019) कि उन्होंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित डिज़ाइन का चयन किया था।

एमओपी/ पीएफसी (15 जुलाई 2019) ने कहा (15 जुलाई 2019) कि राजस्थान में निर्मित शौचालयों में पानी का कनेक्शन स्वीकृत किया जा चुका है (30 जून 2017) और इस पर कार्य पूरा हुआ है। किन्तु उपयोग प्रमाणपत्र और संगत चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं। एनएचपीसी का उत्तर इस विषय पर मौन है। एमओपीएनजी/ ओएनजीसी ने उत्तर दिया (06 अगस्त 2019) कि उन्होनें लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कमियों में सुधार लाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को निर्देश दे दिए हैं।

---

[14] ओएनजीसी -151 में से 64 (42 प्रतिशत), पीएफसी-176 में से 58 (33 प्रतिशत) एनएचपीसी -143 में से 96 (67 प्रतिशत)

यह देखते हुए कि शौचालयों में अबाधित पानी परियोजना के मूल उद्देश्यों में से एक था, उपरोक्त मामलों में उपचारी कार्रवाई करने की आवश्यक्ता है, इनमें वे मामलें भी शामिल हैं जहाँ सीपीएसईज़ ने डिजाईन चरण पर अबाधित पानी की व्यवस्था नहीं की है।

2.2.4 शौचालयों में हाथ धोने की सुविधा

एसवीए पर हैंडबुक में प्रमुखता से कहा गया था कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए शौचालय प्रयोग करने के बाद हाथ धोना अति महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी, पीजीसीआईएल और आरईसी ने शौचालय डिजाईन करते समय हाथ धोने की सुविधा की आयोजना नहीं की। इन सीपीएसईज़ के नमूना में चयनित 830 शौचालयों के सर्वेक्षण में भी वह नहीं पाया गया। एनएचपीसी, ओएनजीसी, पीएफसी तथा सीआईएल ने डिजाईन चरण पर शौचालयों में हाथ धोने की सुविधा शामिल की थी, किंतु इन चार सीपीएसईज़ द्वारा निर्मित 1,435 शौचालयों में से 449 शौचालयों (31 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा सर्वेक्षण के दौरान हाथ धोने की सुविधा नहीं पाई गई। कुल मिलाकर, लेखापरीक्षा द्वारा सर्वेक्षण किए गए 2,326 शौचालयों में से 1,279 (55 प्रतिशत) में वॉश बेसिन/ हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध नहीं था।

सीपीएसईज़ के उत्तर नीचे दिए गए हैः

- एमओपी/ पीजीसीआईएल ने कहा (14 अगस्त 2018) कि हाथ धोने की सुविधा पर इसलिए विचार नहीं किया गया क्योंकि उनके डिजाईन में अबाधित पानी की अभिकल्पना नहीं की गई थी। एमओपी/ आरईसी ने कहा (5 फरवरी 2019) कि वॉश बेसिन इसलिए नहीं उपलब्ध कराया गया क्योंकि डिज़ाईन में वॉश बेसिन के अपशिष्ट पानी हेतु निकासी प्रणाली की अभिकल्पना नहीं की गई थी। एमओपी/ एनटीपीसी ने कहा (26 मार्च 2019) कि शौचालय का डिज़ाईन एमओपी के साथ चर्चा के उपरांत अभिकल्पित किया गया था। सीआईएल (सहायक कम्पनी - बीसीसीएल) ने कहा (23 अगस्त 2018) कि वॉश बेसिन कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ किए गए एमओयूज का भाग नहीं था।
- पीएफसी ने कहा (27 जून 2018) कि कुछ विद्यालयों में, शौचालयों के छोटे आकार के कारण वॉश बेसिन उपलब्ध नहीं कराया गया था। एमओपीएनजी/ ओएनजीसी तथा एनएचपीसी (13 नवंबर 2018/ 06 अगस्त 2019) ने कहा कि वॉश बेसिन केवल नए शौचालयों के लिए उपलब्ध कराया गया था, न कि मरम्मत किए गए शौचालयों के लिए

- सीआईएल (सहायक कंपनियाँ - एसईसीएल, एनसीएल, इब्ल्यूसीएल तथा सीसीएल) ने कहा (21 जनवरी 2019) कि शौचालय वॉश बेसिन सहित विद्यालयों को सौपें गए थे और इनके बाद में क्षतिग्रस्त हो जाने की संभावना है।
- सीआईएल (सहायक कंपनी - एमसीएल) ने कहा (10 जनवरी 2019) कि कार्यान्वयन एजेंसियों/ एसजीएज़ को आवश्यक सुधारों, यदि कोई हो, हेतु स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्त उत्तरों से पुष्टि होती है कि सीपीएसईज़ ने वॉश बेसिन की आयोजना नहीं की थी अथवा आयोजना के बावजूद वॉश बेसिन नहीं बनाए गए, जिससे स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

2.2.5 अस्थायी/ चलनशील शौचालय

लेखापरीक्षा द्वारा सर्वेक्षण किए गए 2326 निर्मित शौचालयों में से 27 शौचालय (1 प्रतिशत) अस्थायी/ चलनशील शौचालय थे। ये शौचालय तीन सीपीएसईज़ (अर्थात मध्य प्रदेश में एनएचपीसी द्वारा पाँच शौचालय, बिहार में एनटीपीसी द्वारा 16 शौचालय तथा पीजीसीआईएल द्वारा 6 शौचालय) निर्मित कराए गए, हालांकि इस प्रकार के शौचालय अनुमत नहीं थे।

इसके अलावा, इन 27 शौचालयों में से 23 (85 प्रतिशत) क्षति, लीच पिट के गैर -निर्माण चोरी इत्यादि के कारण अप्रयुक्त रहे।

एनएचपीसी ने उत्तर दिया (जुलाई 2019) कि समयसीमा के पालन हेतु सुदूर क्षेत्रों में अस्थायी/ चलनशील शौचालय निर्मित किये गए थे।

एमओपी/ पीजीसीआईएल ने कहा (14 अगस्त 2018) कि उन्होंने बिहार के पूर्णिया जिले में 120 शौचालय सर्वश्री एबीबी को दिए थे जिसने अपनी लागत पर व्यापक रूप से मौजूद अस्थायी शौचालय निर्मित किये।

एनटीपीसी ने उत्तर दिया (जुलाई 2019) कि वे संबंधित विद्यालयों में अतिरिक्त प्रीफ़ैब शौचालय संस्थापित करेंगे। एनटीपीसी पर एम ओ पी का उत्तर (26 मार्च 2019) इस विषय पर मौन है।

तथ्य यह रहता है कि अस्थायी शौचालयों का निर्माण एमएचआरडी निर्देशों में विहित नहीं था और लेखापरीक्षा सर्वेक्षण के दौरान भी अप्रयुक्त पाए गए।

2.2.6 शौचालयों का त्रुटिपूर्ण निर्माण

लेखापरीक्षा नमूना में आरईसी से संबंधित 256 शौचालयों में से 20 शौचालय उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सर्वश्री वीकेएसी के माध्यम से निर्मित किए गए। ये शौचालय इतने छोटे थे (अनुमोदित आरेखों में वर्णित क्षेत्र से 19 प्रतिशत तक कम) कि उन शौचालयों में प्रवेश करना कठिन था क्योंकि दरवाजे खोलने पर वे नल से टकराते थे (चित्र संलग्न)। इसके अलावा शौचालयों में बनाई गई पानी की टंकी में बार बार रिसाव होता रहता था। इन शौचालयों में से 16 में डब्ल्यूसी/ फर्श के टाईल भी ठीक से नहीं लगाए गए थे, जिससे पानी का जमाव तथा उसके परिणामस्वरूप शौचालयों में अस्वच्छ हालात उत्पन्न हुए।

एमओपी/ आरईसी ने उत्तर दिया (05 फरवरी 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई त्रुटियों में सुधार किया जाएगा।

2.2.7 नींव/ ढलान/ सीढ़ी/ छत की उचित व्यवस्था न होना

नमूना में 2,326 शौचालयों में से 780 प्रीफ़ैब तकनीक द्वारा बनाये गए थे। शौचालयों के निर्माण हेतु एमओपी/ एमओसी/ एमओपीएनजी द्वारा प्रीफ़ैब तकनीक के प्रयोग की अनुमति न होने (पैरा 2.3 देखें) के तथ्य के होते हुए भी, लेखापरीक्षा सर्वेक्षण में प्रीफ़ैब शौचालयों में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गईः

- लेखापरीक्षा के नमूनों में एनटीपीसी द्वारा निर्मित सभी 190 शौचालय स्थायी नींव के बिना थे और इसलिए तेज़ हवाओं में उनके पलट जाने का जोखिम था।

- लेखापरीक्षा के नमूने में आरईसी द्वारा बनाए गए 145 शौचालयों में से 95 में ढलान सुविधा नहीं थी, जबकि इसकी डिज़ाईन चरण पर योजना की गई थी, जिसने दिव्यांगजन विद्यार्थियों के लिए शौचालय का उपयोग कठिन कर दिया था। ऐसी ही स्थिति एनटीपीसी द्वारा निर्मित 190 शौचालयों में थी जिनमें डिज़ाईन चरण पर ही ढलान सुविधा की योजना नहीं की गई थी।
- आरईसी द्वारा निर्मित 145 प्रीफ़ैब शौचालयों में से 93 शौचालयों की छत के कोने डिज़ाईन चरण में योजना पीपीजीआई मेड़ (पूर्व-पेंटेड गैलवेनाईज्ड लोहा अर्थात एक पट्टी जो छत की मेड़ को ढंकती है) से नहीं ढंकी गई थी। इससे शौचालयों की छत के उपयोगी काल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

इस प्रकार की छत का निर्माण आवश्यक था

इस प्रकार की छत का निर्माण किया गया था

एमओपी/ एनटीपीसी ने उत्तर दिया (26 मार्च 2019) कि उन्होंने एमओपी के साथ विमर्श के पश्चात शौचालयों के डिज़ाईन को अंतिम रुप दिया था। किंतु विमर्श संबंधी दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। आरईसी ने अपनी टिप्पणियाँ उपलब्ध नहीं कराईं।

2.2.8 क्षतिग्रस्त/ बहती हुई लीच पिट

एमएचआरडी द्वारा एसवीए पर तैयार की गयी हैंडबुक के अनुसार, एक शौचालय यूनिट में कम से कम एक लीच पिट (एकल पिट) होनी चाहिए जो कि छह महीने से एक साल की आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त है। दूसरी ओर ग्रामीण विकास मंत्रालय,

पेयजल आपूर्ति विभाग (एमडीडब्ल्यूएस) ने अपने मानकों में जल खंड हेतु दोहरी पिट[15] प्रणाली शामिल की है।

एमएचआरडी द्वारा एसवीए के तहत अपनाये गए एकल पिट डिजाईन की प्रमुख हानि उसकी प्रयोगात्मक रूप से अव्यवहार्यता है। पिट भरने के बाद, इसे खाली नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें नवीन तथा सड़ा अपशिष्ट होता है। चूँकि मशीनी उपकरण अक्सर उपलब्ध नहीं होते हैं, अतः विद्यालय प्राधिकारियों के पास ऐसी पिट अप्शिष्ट्वाहकों द्वारा हाथ से सफाई करवाने का विकल्प ही रह जाता है।

एमडीडब्ल्यूएस द्वारा सुझावित दोहरे पिट डिजाईन में पिट का बारी-बारी से प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पिट की क्षमता सामान्यत 3 वर्ष की होती है। यह प्रणाली इस प्रकार जाती के जटिल मुद्दे से बची रहती है क्योंकि धारकों को अपशिष्ट के स्थान पर खाद की निकासी करनी पड़ती है। एम एच आर डी द्वारा विद्यालयों में कार्यान्वित एसवीए के द्वारा दोहरे पिट डिजाईन के न अप्नाये जाने के कारण शौचालयों की प्रयोज्यता अल्पावधिक अर्थात अधिकतम छह माह से एक वर्ष तक रहती है और यह व्यवहार्य नहीं है।

चयनित शौचालयों के लेखापरीक्षा सर्वेक्षण से पता चला कि लीच पिट बह रही थी और डब्ल्यूसीज़ व मूत्रालयों को लीच पिट/ अपशोक्षण पिट से जोड़ने वाले पाईप लेखापरीक्षा नमूना में 2,326 शौचालयों में से 367[16] (16 प्रतिशत) में जमीन से ऊपर खुले पड़े थे अथवा क्षतिग्रस्त थे।

---

[15] दोहरी पिट प्रणाली के तहत, जालीदार दीवारों तथा मिटटी के फर्श सहित दो पिट खोदी जाती हैं जो बगल की दीवार में तरल पदार्थ को बहने देती है। जब एक पिट भर जैथई और बंद कर दी जाती है, तब अपशिष्ट दूसरी पिट में चला जाता है, जिससे पहली पिट में पड़ा अपशिष्ट एक या दो वर्षों के बाद खाद में बदल जाता है । पहली पिट के ब्लाक होने के दो सालों के बाद, उसमें पड़ा अपशिष्ट ठोस, गंध्मुक्त खाद में बदल जाता है, जो कि कृषि तथा वनस्पति पालन प्रयोजन में काम आती है। दूसरी पिट के बहरने के बाद, वह भी इसी प्रकार बंद हो जाती है और पहली पिट फिर उपयोग में लाई जाती है। अतः, दोनों पिट का पारस्परिक उपयोग चलता रहता है

[16] 367= सीआईएल-168, एनटीपीसी-82, आरईसी-34, ओएनजीसी-28, पीजीसीआइएल-24, एनएचपीसी-23 और पीएफसी-8 शौचालय

पीएफसी, एनएचपीसी, सीआईएल (सहायक कंपनियाँ - एमसीएल, एनसीएल तथा एसईसीएल) तथा एमओपी/ आरईसी ने उत्तर दिया (जून 2018 से फरवरी 2019) कि राज्य शिक्षा प्राधिकारी/ विद्यालय प्रबंधन समिति को शौचालयों का रखरखाव करना चाहिये।

एमओपी/ एनटीपीसी ने उत्तर दिया (26 मार्च 2019) कि त्रुटियों के त्रुटि उत्तरदायित्व अवधि बीतने के होने की संभावना है।

एमओपी/ पीजीसीआईएल, एमओपीएनजी/ ओएनजीसी तथा सीआईएल (सहायक कंपनी-डब्ल्यूसीएल) ने उत्तर दिया (अप्रैल 2018 से जनवरी 2019) कि वे उपचारी कार्रवाइ हेतु एक एजेंसी को नियुक्त कर रहे थे।

सीआइएल (सहायक कंपनी - सीसीएल) ने उत्तर में कहा (21 जनवरी 2019) कि यह अनुरक्षण कार्य का भाग था जिसे निधियों की कमी के चलते कार्यान्वयन एजेंसी के कार्यक्षेत्र से हटा दिया गया था। सीआईएल (सहायक कंपनी - बीसीसीएल) ने उत्तर दिया कि (21 जनवरी 2019) कि रखरखाव शुरू किया जाना था। सीआईएल (सहायक कंपनी-ईसीएल) ने इस मामलें पर अपनी टिप्पणियाँ नहीं दीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि एमओपी/ एमओसी ने (27 अक्तूबर 2014) सीपीएसईज़ को तीन से पाँच वर्षों तक शौचालयों के रखरखाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। एसवीए पर हैंडबुक में भी यह बात प्रमुखता से उल्लेख की गई थी कि अपर्याप्त रखरखाव अन्य योजनाओं के तहत निएमित शौचालयों को निष्क्रिय/ अनुपयुक्त बनाने के प्रमुख कारणों में से था। अतः सीपीएसईज़ द्वारा शौचालयों के रखरखाव में जोर न दिए जाने के कारण शौचालयों की अप्रयुक्तता हुई।

2.2.9 शौचालयों हेतु रखरखाव व्यवस्था

एमओपीएनजी तथा एमओपी/ एमओसी ने (16 सितंबर तथा 27 अक्तूबर 2014) सीपीएसईज़ को उनके द्वारा निर्मित शौचालयों का तीन से पाँच वर्षों तक रखरखाव करने तथा वार्षिक व्यय को उनके सीएसआर बजट में से वहन करने का निर्देश दिया। एमओपी ने (18 जुलाई 2016) को सीपीएसईज़ द्वारा शौचालयों के रखरखाव पर पुनः बल दिया और उन्हें एमओपी को सूचित करते हुए शौचालयों की स्वच्छता हेतु ग्रामीण शिक्षा समिति को सीधे निधियाँ देने तथा छह महीने बाद शौचालयों की स्थिति की समीक्षा करने का परामर्श दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन सीपीएसईज़ (पारंपरिक शौचालयों हेतु एनटीपीसी, आरईसी तथा सीआईएल - सहायक कंपनियाँ बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल तथा एसईसीएल) ने एमओयूज़/ संविदाओं में रखरखाव प्रावधान शामिल किया, परन्तु आरईसी ने ठेकेदारों द्वारा खराब रखरखाव के कारण बाद में रखरखाव प्रावधान वापस ले लिया। प्रीफ़ैब शौचालयों हेतु एनटीपीसी, पीएफसी, पीजीसीआईएल, एनएचपीसी, ओएनजीसी तथा सीआईएल (सहायक कंपनियाँ - एमसीएल, एनसीएल तथा डब्ल्यूसीएल) ने न तो एमओयूज़/ संविदाओं में रखरखाव हेतु कोई प्रावधान किया और न ही विद्यालय प्रबंधन को निधियाँ उपलब्ध कराईं।

चयनित शौचालयों के सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि शौचालयों के प्रयोग न होने के प्रमुख कारणों में से एक कारण रखरखाव/ सफाई व्यवस्था की कमी थे, जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:

(i) सफाई की आवृत्ति

एसवीए के अंतर्गत एमएचआरडी मानकों के अनुसार, शौचालयों की रोज़ कम से कम एक बार सफाई अनिवार्य थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2,326 शौचालयों में से 1,812 शौचालयों में ठीक अनुरक्षण /स्वच्छता नहीं थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 1,812 शौचालयों में से 715 शौचालय गंदे पाए गए तथा बकाया 1,097 शौचालयों में सप्ताह में दो बार से लेकर महीने में एक बार तक सफाई की जा रही थी, जो कि मानकों के अनुसार नहीं था। अतः चयनित शौचालयों में से 75 प्रतिशत स्वच्छतापूर्वक नहीं रखे गए थे। इन शौचालयों में 438 शौचालय शामिल थे जो कि प्रयोग में नहीं थे (पैरा 2.2.2 देखें)।

सफाई की सीपीएसईज़ - वार चार्ट सं मानकों के उल्लंघन में सफाई की स्थिति की सीपीएसइज-वार स्थिति

चार्ट नंबर 1: सफाई की सीपीएसई वार स्थिति

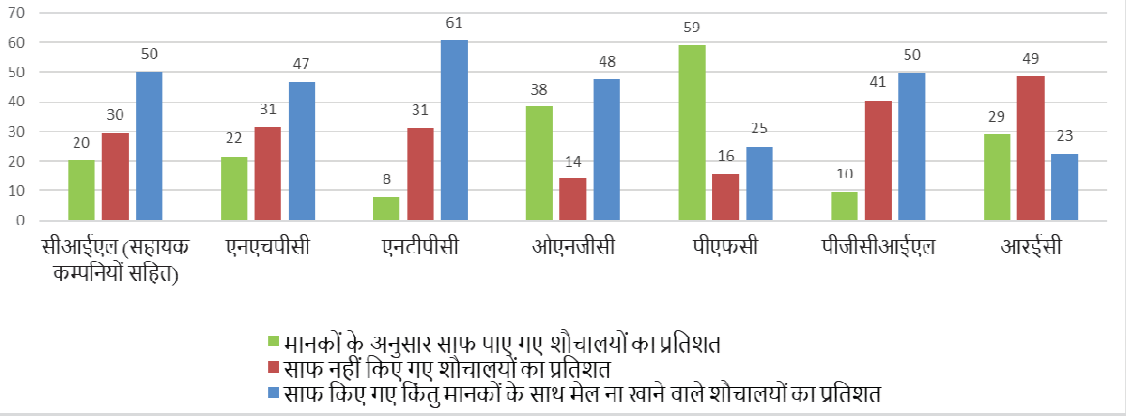

लेखापरीक्षा ने देखा कि निधियों कि कमी के कारण विद्यालय शौचालयों का रखरखाव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सीपीएसईज़ तथा राज्य सरकारों ने शौचालयों में रखरखाव/ सफाई के लिए विद्यालयों को पर्याप्त वित्तपोषण नहीं दिया। विद्यालय प्राधिकारी/ एमएमसीज़/ प्रधानाचार्य शौचालयों का रखरखाव करने के लिए राजी थे बशर्ते शौचालयों की स्वच्छता हेतु पर्याप्त राशि (लगभग ₹5,000 प्रतिवर्ष) उपलब्ध कराई जाए।

(ii) शौचालयों में साबुन, सफाई रसायनों तथा कीटाणुनाशकों की व्यवस्था न होना

एसवीए मानकों के अनुसार, शौचालय ब्लाक में साबुन, बाल्टी, शौचालय की सफाई हेतु ब्रश, बाल्टी तथा अन्य सफाई सामग्री होनी चाहिए। सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि 863 शौचालयों (37 प्रतिशत) में साबुन तथा कीटाणुनाशकों एवं सफाई रसायनों की कोई व्यवस्था नहीं थी।

(iii) मार्ग की अपर्याप्त स्वच्छता

विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए शौचालयों की ओर जाने वाले साफसुथरे मार्ग की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 426 शौचालयों (18 प्रतिशत) के संदर्भ में उन तक जाने वाले मार्गों की सफाई नहीं की गई थी।

एमओपी/ पीजीसीआईएल ने कहा (14 अगस्त 2018) कि रखरखाव का प्रस्ताव केवल उत्तर प्रदेश से आया था, जो विचाराधीन था।

एनएचपीसी, सीआईएल (सहायक कंपनी-एनसीएल, एमसीएल, एसईसीएल, डब्ल्यू सी एल) और एमओपी/ एनटीपीसी ने उत्तर दिया (क्रमशः 18 नवम्बर 2018, 21 जनवरी 2019 और 26 मार्च 2019) कि वे शौचालयों के रखरखाव हेतु अधिदेशित नहीं थे। सी आई एल (सहायक कंपनी-बी सीसीएल) ने इत्तर दिया (21 जनवरी 2019) कि रखरखाव शुरू किया जाना था जबकि सीआईएल (सहायक कंपनी-डब्ल्यूसीएल) ने उत्तर दिया (21 जनवरी 2019) कि सचिव (कोयला) ने सभी सीपीएसईज़ को उनके प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के विद्यालयों में शौचालयों के रखरखाव हेतु स्थानीय प्रशासन को शामिल करने हेतु प्रयत्न करने के निर्देश दिए। तदनुसार उन्होनें सभी जिला प्राधिकारियों को, जहाँ पर डब्ल्यूसीएल ने शौचालय निर्मित किये हैं, को रखरखाव करने को कहा। सीआईएल (सहायक कंपनी-सीसीएल) ने उत्तर दिया (21 जनवरी 2019) कि निधियों की कमी के कारण कार्यान्वयन एजेंसी के कार्यक्षेत्र से रखरखाव कार्य को हटा दिया गया था। सीआईएल (सहायक कंपनी- ईसीएल) ने इस मामले पर टिप्पणियाँ नहीं कीं।

एमओपी/ आरईसी ने कहा (05 फ़रवरी 2019) कि वे सीएसआर बजट के द्वारा लागत का वित्तपोषण करने को इच्छुक थे और विस्तृत कार्यान्वयन योजना एमएचआरडी से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ओएनजीसी ने कहा (7 सितम्बर 2018) कि उन्होंने अब रखरखाव हेतु ₹1,000 प्रतिवर्ष/ प्रति शौचालय निधियां अनुमोदित किया है। उसके आलावा, एमओपीएनजी ने कहा (6 अगस्त 2019) कि इनके द्वारा तीन वर्षों का रखरखाव किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गए थे (22 सितम्बर 2019) जैसा की सचिव के साथ हुई बैठकों में तय किया गया था।

उत्तरों को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि एनटीपीसी, आरईसी और सीआईएल-सहायक कंपनियां बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल और एसईसीएल ने संविदाओं में रखरखाव प्रावधान शामिल किया था जो कि उनके द्वारा अपने अधिदेश में रखरखाव के शामिल न होने के कथन के विपरीत था। सीपीएसईज़ को मंत्रालयों द्वारा रखरखाव हेतु प्रारंभिक समर्थन प्रदान करने को कहा गया (तीन से पांच वर्षों तक) जिसके बाद विद्यालय उनके पास उपलब्ध अनुदानों के द्वारा सुविधाओं को जारी रखेंगे, किन्तु सीपीएसईज़ द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा किये गए लाभार्थी सर्वेक्षण में परियोजना के परिणाम में अपर्याप्तता व कमियां पता चलीं जैसा कि शौचालयों की गैर मौजूदगी तथा उनके आंशिक निर्माण के मामलों से स्पष्ट था। वास्तव में निर्मित शौचालयों के सम्बन्ध में भी, यह देखा गया कि

लेखापरीक्षा नमूने में 75 प्रतिशत मामलों में विभिन्न कारणों जैसे कि एमएचआरडी मानकों के अनुरूप शौचालयों की अनभिकल्पना, अबाधित जलापूर्ति की कमी, सफाई हेतु निधियां उपलब्ध न होने के कारन रखरखाव/ सफाई सुविधाओं की कमी तथा शौचालयों पर ध्यान की कमी के कारण शौचालय सक्रिय उपयोग में नहीं थे जिसमें सुधार की आवश्यकता है।